



बिहार सरकार  
फॉर्म-X(क)

क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र  
पिछड़ा वर्ग /अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु  
(बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)  
कार्यालय का नाम अंचल कार्यालय - बड़हरिया

प्रमाण-पत्र संख्या : NCLCO/2023/1185755


दिनांक : 04/11/2023

प्रमाणित किया जाता है कि सुनील कुमार(Sunil Kumar), पिता-भगवान सिंह(Bhagwan Singh), माता-सुनैना देवी(Sunaina Devi), ग्राम/मोहल्ला-भोपतपुर, पोस्ट-जोगापुर कोठी, थाना- जामो बाजार, प्रखंड-बड़हरिया, अनुमंडल-सीवान सदर, जिला-सिवान, राज्य बिहार कुर्मी समुदाय के सदस्य हैं, जो बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 समय - समय पर यथासंशोधित अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य की पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) में अनुक्रमांक 35 पर अंकित है। अतः सुनील कुमार, पुत्र- भगवान सिंह, माता-सुनैना देवी पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) का है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/1993 स्था। (एस।सी।टी।) दिनांक 08-09-1993, (समय-समय पर यथा संशोधित) के स्तम्भ -3 में वर्णित व्यक्ति / वर्ग (क्रीमी लेयर) के अंतर्गत नहीं आते हैं।

स्थान : बड़हरिया

दिनांक : 04/11/2023



Digitally signed by RAKESH ANAND  
Date:2023.11.04 04:54:04 +05:30

राजस्व अधिकारी बड़हरिया  
(हस्ताक्षर)

QR Code की जाँच <https://serviceonline.bihar.gov.in> पोर्टल एवं Play Store पर उपलब्ध ServicePlus Mobile App से करें।  
नोट: यह दस्तावेज DigiLocker पर भी उपलब्ध है।